UPLK010061912026

न्यायालय SPL.JUDGE(SC/ST ACT), Lucknow

पीठासीन अधिकारी– (JAINENDRA KUMAR PANDEY), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) –**

UP02398

Criminal Misc. Cases/722/2026

MEENU DEVI Vs. SANJAY GUPTA AND OTHERS

10–06–2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी।

पूर्व तिथि पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का परिशीलन किया।

आवेदिका मीनू देवी द्वारा बी0एन0एस0एस0 की धारा–173(4) के अन्तर्गत यह आवेदन थाने पर मुकदमा पंजीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि ''प्रार्थिनी अनुसूचित जाति की है जिसकी उपजाति चमार है। प्रार्थिनी तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों का विपक्षीगण के सामने बने रास्ते से होकर आना–जाना है। घटना दिनांक 10–07–5 की शाम के समय लगभग 5 बजे के आस–पास की है, जब प्रार्थिनी विपक्षी संख्या 1 से 3 के घर के सामने से होकर जाने वाले अपने घर के रास्ते से जा रहा थी, तभी उक्त पक्षों ने प्रार्थिनी को बुरा भला व भद्दी–भद्दी गालियां देना प्रारम्भ कर दिया। लड़ाई–झगड़े पर अमादा हो गयी लेकिन प्रार्थिनी विवाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए विवाद को तूल न देते हुए अपने घर आ गयी। उसी दिन दिनांक 10–07–2025 की रात्रि लगभग 10 बजे से 10.30 बजे के आस–पास अचानक उक्त सभी विपक्षीगण एक राय होकर साजिश के तहत प्रार्थिनी के घर पर लाठी–डण्डो एवं धारदार हथियार से लैस होकर मां–बहन की गन्दी–गन्दी जाति सूचक गालियां देते हुये धावा बोल दिये तथा धमकी देने लगी कि तुम चमारो की हिम्मत कैसे हुई जुबान लड़ाने की तथा प्रार्थिनी के घर मे जबरदस्ती घुसकर मारपीट व गाली–गलौज करने लगे जिससे प्रार्थिनी व उसके जेठ उत्तम कुमार का सिर फट गया तथा बहुत गम्भीर की चोटें आयी चिकित्सीय परीक्षण प्रार्थिनी ने करवाया। प्रार्थिनी ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ, खण्डपीठ लखनऊ मे एक क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन नं०–7677/2025 मीनू बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य दाखिल की गयी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट पिटीशन को गुणदोष के आधार पर दिनांक 08–सितम्बर 2025 को निर्णीत करते हुये आदेश पारित किया गया है। विपक्षीगण ने सम्मिलित आलोक आर्यन विपक्षी संख्या–2 ने प्रार्थिनी के साथ भीड़ का फायदा उठाते हुए छेड़खानी भी की थी और ब्लाउज तक फाड़ डाला था जिससे प्रार्थिनी की लज्जा भी भंग हुई। प्रार्थिनी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा जब अपनी जान बचाने के लिए बहुत शोरगुल एवं हल्ला गुहार होने पर उक्त विपक्षीगण एवं विपक्षी संख्या–4 अज्ञात सभी लोग जानमाल की धमकी

देते हुये भाग गये।''

आवेदिका की ओर से अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र की प्रतियां तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण रिट पिटीशन संख्या 7677/2025 में पारित आदेश दिनांकित 08.09.2025 की प्रमाणित प्रति, थाना इटौंजा, पुलिस उपायुक्त, पुलिस आयुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, उत्तरी, पुलिस महानिदेशक, एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, लखनऊ, चिकित्सीय पर्चे की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं।

सुन एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र में यह अभिकथित है कि आवेदिका के घर जाने का रास्ता विपक्षीगण के सामने से है, जिससे आवेदिका के घर जाने पर विपक्षीगण द्वारा उसके घर में घुसकर उसे व उसके जेठ को धारदार हथियार से मारा पीटा व जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दिया।

प्रार्थना–पत्र में आवेदिका द्वारा घटना का पूर्ण विवरण अंकित किया गया है। आवेदिका को सभी तथ्य ज्ञात हैं। निर्णय विधि **नरेश कुमार वाल्मिकी आदि बनाम उ0प्र0 राज्य 2022 (121) ए0सी0सी0 782** में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत अभियोग दर्ज कराने हेतु विशेष न्यायाधीश न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को भी परिवाद में व्यवहृत किया जा सकता है। इसमें कोई विधिक बाधा नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा स्वयं जांच किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस से विवेचना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। निर्णय विधि–**रामबाबू गुप्ता प्रति स्टेट आफ यू0पी0 2001 (2) जेआईसी 231 इलाहाबाद हाईकोर्ट फुल बेन्च, योगेन्द्र सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2005 (2) जेआईसी 686 इलाहाबाद हाईकोर्ट, श्रीमती अन्जू प्रति स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य 2009 (4) जेआईसी 779 इलाहाबाद हाईकोर्ट, सुखवासी प्रति स्टेट आफ यू0पी0 2008 (1) एसीआर 170, मोहन शुक्ला एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2005 (1) एसीआर 155, सुरेश चन्द्र जैन प्रति म0प्र0 राज्य तथा अन्य 2001 (42) एसीसी 459 (सुप्रीम कोर्ट), जोसेफ माथुरी उर्फ विवेकानन्द व अन्य प्रति स्वामी सच्चिदानंद हरी साक्षी व अन्य 2001 (सप्लीमेंट्री) एसीसी 957 (सुप्रीम कोर्ट)** में दी गयी व्यवस्थाओं के आलोक में यह प्रार्थना पत्र,परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाये।

उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना न्यायसंगत होगा।

निर्णय विधि **प्रतीक अग्रवाल बनाम उ0प्र0 राज्य 2024 ए0एच0सी0, लखनऊ 78272** में यह व्यवस्था दी गयी है किः–

"9-To steer clear the obfuscation, it is necessary to notice the language deployed therein. The Magistrate while taking cognizance of an offence should have with him the statement on oath of the complainant and if any witnesses are present, their statements. The taking of cognizance under section 223 of the BNSS would come after the recording of the sworn statement, at that juncture a notice is required to be sent to the accused, as the proviso

mandates grant of an opportunity of being heard."

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 223 बी0एन0एस0एस0 एवं उसके साक्षीगण के बयान अंतर्गत धारा 225 बी0एन0एस0एस0 की प्रति के साथ प्रस्तावित अभियुक्त को नोटिस जारी किया जायेगा और उसको संज्ञान के बिन्दु सुनने के उपरांत समुचित आदेश पारित किया जायेगा।

इस परिप्रेक्ष्य में उक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत आवेदिका का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 परिवाद के रूप में व्यवहृत किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज हो। पत्रावली दिनांक 20.07.2026 को परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 223 बी0एन0एस0एस0 हेतु पेश हो।

(जैनेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 2398

दिनांकः 10–06–2026